उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 07/2022–23

बलराम सिंह.....अपीलकर्त्ता

बनाम

महेन्द्र मंडल.....उत्तरकारी।

आदेश

04.11.2022

यह रे0मि0 (प्रधानी नियुक्ति) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–76/2012–13 में पारित आदेश दिनांक–15.03.2022 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध संक्षिप्त निम्न प्रकार है :–

मौजा–घुरमुन्दनी, अंचल–मसलिया एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान मसुदन सिंह थे। अपीलकर्त्ता प्रधान मसुदन सिंह के पोता माधव सिंह के पुत्र है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय में प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। इसके अलावे उत्तरकारी महेन्द्र मंडल, लवसन टुडू, मधुसुधन मंडल एवं महादेव मरांडी द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, मसलिया से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मसलिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलकर्त्ता प्रधानी मौजा –घुरमुन्दनी से 03 किलोमीटर दूर मौजा गुमरो में निवास करते है। इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी ,दुमका ने आदेश दिनांक–09.12.2021 को अपीलकर्त्ता द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत दायर आवेदन को खारिज करते हुए संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–5 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आदेश पारित किया गया।

तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, मसलिया से मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त की गई एवं दिनांक–15.03.2022 को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु मतदान कराया गया।

अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित 16 जमाबंदी रैयतों मे से 11 जमाबंदी रैयतों द्वारा प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु उत्तरकारी की समर्थन में हाथ उठाकर किया गया। शेष आवेदको के पक्ष में किसी ने भी मतदान नहीं दिया। दो तिहाई रैयतो के सहमति (समर्थन) के आधार पर उत्तरकारी को उक्त मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील/रिवीजन वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है:–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान के परपोता है। उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बैंक खाता एवं पेन कार्ड मौजा घुरमुन्दनी के पता से निर्गत है। इनका मकान मौजा के दाग सं0–400 एवं 401 में अवस्थित है, जो जमाबंदी नं0–14 के अन्तर्गत वास्तु सह आंगन दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत दायर आवेदन को अस्वीकृत कर धारा–5 के अन्तर्गत उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा के गैंजर प्रधान मसुदन सिह के मृत्यु के पश्चात् से मौजा विगत कई वर्षो से खास है। गैंजर प्रधान के परपोता उत्तरकारी मौजा –घुरमुन्दनी में नहीं रहते है। वह मौजा गुमरो में रहते है, जो मौजा घुरमुन्दनी से 03(तीन) कि0मी0 की दूर पर अवस्थित है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति सही है। उन्हें दो तिहाई रैयतों की सहमति प्राप्त है। अतः आवेदन को निरस्त किया जाय।

अंचल अधिकारी, मसलिया का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका में पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अंचल अधिकारी, मसलिया पत्रांक–785/रा0 दिनांक–04.12.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्त्ता सपरिवार मौजा गुमरो में निवास करते है, जो प्रधानी मौजा घुरमुन्दनी से 03(तीन) कि0मी0 की दूरी है। इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा प्रधानी पद की नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत दायर आवेदन को खारिज करते हुए संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत दो तिहाई जमाबंदी रैयतों के सहमति के आधार पर प्रधान पद पर उत्तरकारी को नियुक्त किया गया।

प्रावधान

Sec-5 Appointment of village headman of a khas village.- On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

Santhal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950-Rule-3- on receipt of an application from a *raiyat* or a landlord under section 5, the Deputy Commissioner shall issue notice to the *jamabandi raiyats* of the village and to the landlord in Form A.

2. The consent of at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village fail to be present the Deputy Commissioner shall fix another date and issue fresh notices in the manner prescribed in sub-rule 3 (1), if on the date so fixed, at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* again fail to be present the Deputy Commissioner shall summarily reject the application made under section 5.

3. The decision of the Deputy Commissioner as to whether a person is entitled to vote or not shall be final.
4. If at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* give their consent for appointment of headman for the village, the Deputy Commissioner shall at once invite nomination for the appointment of headman and proceed to make the appointment.

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

पुनः यह भी उल्लेख है कि:–

"The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman."

ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य **1980 BLJR 448: 1980 BLJ 212 (DB)** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि :-

'authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the hereditary claim.'

पुनः बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य **1998 (1) PLJR 43** में स्थापित है कि :–

"the headman's duty it is self evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on government postings and came to the village only intermittently"

इसी प्रकार से **महिपाल मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य, 2003 2 जे0एल0जे0आर0 275,** के वाद में यह निर्णय दिया गया है कि यदि 'Head Man died then he may leave successor or he may not leave successor and if he does not leave successor then a fresh step under the Rules has to be taken for appointment of a new Head Man. But if he has left some heirs then the question of acceptability of that heir is to be determined as per the Rules. Obvious it is that this acceptability can be ascertained from the will of 2/3 of Jamabandi Raiyats. Rule 3(1) provides that first of all a notice has to be given to 2/3 Raiyats (which ordinarily is called 16 anna raiyats) and if they do not turn up then subsequent notice has to be given and if even thereafter they do not turn up then the Deputy Commissioner will decide the matter rejecting the application made under Section 5.'

इसी प्रकार से **Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724.** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के **Division Bench** द्वारा स्थापित किया गया है कि :–

"Section-6 refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner. It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of heir of the deceased Headman,

unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village.The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act."

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के गैंजर प्रधान मसुदन सिंह थे। अपीलकर्त्ता गैंजर प्रधान के परपोता है, किन्तु वह मौजा गुमरो में सपरिवार रहते है जो प्रधानी मौजा घुरमुन्दनी से 03(तीन) कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है। संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के शिड्यूल V के रूल्स एवं माननीय उच्च न्यायालय बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1998(1) PLJR 43 के आलोक में अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकारणीय नहीं है। साथ ही मौजा के गैंजर प्रधान के मृत्यू के पश्चात् मौजा विगत कई वर्षो से खास है। Land and Tenancy Laws of Santhal Parganas के पृष्ठ से 54 में उल्लेखित है :– "*If there is a gap of several years between the death of pradhan and appointment of pradhan procedure laid down under section-5 should be appointment of new pradhan.*" के अनुसार उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत दो तिहाई रैयतों की सहमति के आधार पर मौजा का प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलकर्त्ता के आवेदन खारिज करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः इसे बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

225 dtd-17.11.22

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.17 14:41:47 +05:30
Location: 169.254.227.244